Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए. / 1271 / 2005 / बूंदी धन्नालाल बनाम बजरंग	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री वाई. डी. शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।
(2) श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी।

निर्णय दिनांक : 22 मई, 2018

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 76, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 200/2003 शीर्षक बजरंगलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 24–7–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने समक्ष जैरकार अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्यानुसार ग्राम रंगपुरिया अवस्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 155 रकबा 1.13 बीघा का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 05–11–1982 को किया गया, जिसे उपखण्ड अधिकारी, बूंदी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05–10–1991 को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 09–11–1998 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बूंदी को प्रतिप्रेषित कर दिया। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बूंदी ने अपने निर्णय दिनांक 22–7–2003 से अप्रार्थी का आवंटन निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा नेअपने निर्णय दिनांक 24–7–2004 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बूंदी को प्रतिप्रेषित किया, जिससे व्यथित होकर वर्तमान निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

4– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम रंगपुरिया, तहसील केशवरायपाटन स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 155 रकबा 1.13 बीघा का आवंटन दिनांक 05–11–1982 को अप्रार्थी संख्या 1 बजरंग पुत्र मन्ना को किया गया था तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन द्वारा प्रकरण संख्या 33/1982 में निर्णय दिनांक 22–7–2003 से रेस्पो0/आवंटी का आवंटन, आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त करने पर उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें विद्वान राजस्व अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 1271 / 2005 / बूंदी</u>** **धन्नालाल बनाम बजरंग**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 24–7–2004 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए यह निर्देशित किया कि प्रार्थी/वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत भूमि के पेटे जमा कराई गई राशि की रसीदों का सत्यापन कर यह सुनिश्चित करे कि अपीलांट/वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भूमि आवंटन के पेटे राशि जमा कराई अथवा नहीं। यदि कोई बकाया राशि हो तो मय ब्याज जमा की जावे और अपीलांट को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करे। 5– हमारी सुविचारित राय के अनुसार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। वर्तमान प्रार्थी राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय से किस प्रकार से व्यथित है, यह स्पष्ट नहीं है तथा प्रार्थी प्रभावित पक्षकार भी नहीं है। यदि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त मानता है तो वरवक्त आवंटन अपना उज्र भूमि आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रख सकता था। वादग्रस्त भूमि का ना तो प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है तथा ना ही व्यथित पक्षकार है और ना ही इस संबंध में कोई पुख्ता साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रार्थी पक्षकार भी नहीं था। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा वर्तमान निगरानी प्रकरण को उलझाने एवं समय जाया करने की नियत से प्रस्तुत की जाना प्रतीत होती है। 6– फलस्वरूप, हस्तगत निगरानी सारहीन/आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(विजय कुमार सोनी)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए. / 1271 / 2005 / बूंदी** **धन्नालाल बनाम बजरंग**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6– पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकारों का अंतिम रूप से निस्तारण वाद में साक्ष्य के द्वारा होगा। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से 3 घटक, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बाबत विचार किया जाना है। प्रार्थीया सोनादेवी द्वारा अपनी पुत्री राजबाला के पक्ष में किये गये हक त्याग पत्र के आधार पर राजबाला को क्या अधिकार प्राप्त होगे और राजबाला द्वारा आगे भूमि स्थानान्तरण करने के पश्चात जिसके पक्ष में हक त्या प्रत्र निष्पादित किया गया है, उसको क्या अधिकार प्राप्त होंगे, यह मूल वाद में साक्ष्य द्वारा तय होना है। यदि दौराने दावा भूमि को अन्यत्र हस्तान्तरित अथवा खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो दावा प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए हम प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों से सहमत नहीं है, क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में एक प्रकार से पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व को ही तय कर दिया है। 8– उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुन्झुनूं का निर्णय दिनांक 11–5–2017 निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनूं द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 26–10–2012 की पुष्टि की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए. / 1271 / 2005 / बूंदी** **धन्नालाल बनाम बजरंग**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(शंकर लाल शर्मा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 1271 / 2005 / बूंदी</u>** **धन्नालाल बनाम बजरंग**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए